क्रमांकः एफ.3(4)वित्त/एसपीएफसी/एसपीपीपी/Technical/2024 दिनांक 21-10-2024

अति आवश्यक

परिपत्र

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17, आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 4 तथा इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अन्य परिपत्रों/आदेशों/दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था द्वारा आरटीपीपी एक्ट की धारा 17(3) में वर्णित समस्त सूचनाओं का राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशन किया जाना बाध्यकारी है:

1. पूर्व–अर्हता दस्तावेज, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज, बोली दस्तावेज तथा उसके संशोधन, स्पष्टीकरण जो बोली–पूर्व सम्मेलन के अनुसरण में हो, और उसके शुद्धि–पत्र,
2. पूर्व–अर्हता या, यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण के दौरान सहित बोली लगाने वालों की सूची, जिन्होंने बोली लगायी है,
3. पूर्व–अर्ह और, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची,
4. धारा 25 के अधीन, कारण सहित अपवर्जित बोली लगाने वालों की सूची,
5. धारा 38 और 39 के अधीन विनिश्चय,
6. सफल बोलियों का, उनकी कीमतों का और बोली लगाने वालों का ब्यौरा,
7. बोली लगाने वालों, जिन्हें राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया हैं, कि विशिष्टयां, साथ ही उपापन संस्था का नाम, विवर्जन कार्रवाई का कारण और विवर्जन की कालावधि,
8. कोई अन्य सूचना, जो विहित की जाये।

परन्तु व्यवहार में यह पाया गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा अभी तक भी पोर्टल पर बोली आमंत्रण सूचनाओं (NIB) एवं बोली दस्तावेजों (Bid Document) का ही प्रकाशन किया जा रहा है परन्तु अन्य सूचनाओं का पोर्टल पर प्रकाशन नहीं किया जा रहा है। उपापन संस्थाओं द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17, आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 4 की पालना नही की जा रही है जो कि गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है

अतः उक्त के संबंध में सभी उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाना है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17(3) के अनुसार उनके द्वारा दिनांक 31.08.2024 तक किये गये उपापनों से संबंधित समस्त बकाया अभिलेखों को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर आवश्यक (mandatory) रूप से

यथाशीघ्र प्रकाशित करवाये तथा निर्देशों की पालना के उपरान्त की गई कार्यवाही से इस विभाग को प्रमाण पत्र द्वारा सूचित करावें कि दिनांक 31.08.2024 तक के सभी बकाया अभिलेखों को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित(upload) कर दिया है। समस्त विभागाध्यक्ष अपने अधिनस्थ उपापन संस्थाओ के बाबत प्रमाण पत्र अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से **cao.spfc@rajasthan.gov.in** पर दिनांक 31.10.2024 तक आवश्यक रुप से भिजवाना सुनिश्चित करावें एवं साथ ही भविष्य में किये जाने वाले उपापनों के संबंध में भी उक्त निर्देशों की पालना की जावें।

21/10/24

(देबाशीष पृष्टी)
शासन सचिव,
वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1.सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य
2.उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3.सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
4.सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5.सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6.रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7.प्रधान महालखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर।
8.प्रधान महालखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर।
9.समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10.समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11.रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12.समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
13.समस्त कोषाधिकारी।
14.समस्त उपापन संस्थाएं।
15.तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16.रक्षित पत्रावली।

21/10/24

संयुक्त शासन सचिव